संख्या-73/2026-1083-001-5-9002-001-1-2026

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2026

विषयः- एस0एन0ए0-स्पर्श व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में काईण्ड ग्रान्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटीनेंस (यू0पी0 347) योजना हेतु अनुदान संख्या–संख्या-35 में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 22539.51 लाख के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 15026.34 लाख की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनु0-35/एन0एच0एम0/2026-27/863, दिनांक 11.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Kind Grant & Infrastructure Maintenance (UP-347) योजना हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 22539.51 लाख (एरियर 2024-25) के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 15026.34 लाख (रूपये एक अरब पचास करोड छब्बीस लाख चौंतीस हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 अनुदान संख्या-35 (राजस्व) 2211-परिवार कल्याण, 800-अन्य व्यय, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0104-काईण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मन्टीनेन्स ग्रान्ट (के.60/रा.40-रा0.) 4063 UP 347 42-अन्य व्यय को प्राविधानित धनराशि से अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

(6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(7) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(8) केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधो का अनुपालन किये जाने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,26,34,000 (रुपये एक अरब पचास करोड़ छब्बीस लाख चौंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 035 **लेखा शीर्षक** 2211008000104 काईण्ड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स ग्रान्ट (के.60/रा.40-रा.) **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-42/दस-2026-27, दिनांक 29 जून, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-73/2026/1083(1)/001-5-9002-001-1-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकार (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
4- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।